



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 35-2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 5, 2021 (PHALGUNA 14, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 मार्च, 2021

संख्या 8/5/2021-CHL.— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 87 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन निहित शक्तियों तथा ऐसा करने हेतु उनको समर्थ बनाने के लिए इस निमित्त उनमें निहित सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, निर्देश देते हैं कि उक्त उप-धारा के उक्त खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्म की प्रत्येक लिखत के रूप में राज्य में नगर निगमों की सीमाओं के भीतर स्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर शुल्क हरियाणा राज्य में तत्समय यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त 2 प्रतिशत की दर पर होगा।

2. हरियाणा के राज्यपाल आगे निर्देश देते हैं कि कथित शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा कथित लिखत के पंजीकरण के समय पर संग्रहित किया जायेगा तथा सम्बन्धित नगर निगम को भुगतान किया जायेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी अचल सम्पत्ति इस अधिसूचना के उपबन्धों के अनुसार स्थित हैं।

3. हरियाणा के राज्यपाल आगे निर्देश देते हैं कि इस प्रकार भुगतान किया गया शुल्क इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित आयुक्त द्वारा अनुरक्षित तथा प्रबन्धित सम्बन्धित निगम के लेखे में तथा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अनुरक्षित तथा प्रबन्धित हरियाणा में सभी निगमों के समेकित लेखे में समान रूप से भुगतान किया जायेगा।

एस० एन० रॉय,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 5th March, 2021

No. 8/5/2021-4CII.— In exercise of the power vested under clause (c) of sub-section (1) of section 87 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 and all other powers vested in him in this behalf enabling him to do so, the Governor of Haryana is pleased to direct that the duty on transfer of immovable properties situated within the limits of Municipal Corporations in the State by way of every instrument of description specified under the said clause (c) of the said sub-section shall be at the rate of 2 per centum in addition to duty imposed under the Indian Stamp Act, 1899, as in force for the time being in the State of Haryana.

2. The Governor of Haryana is further pleased to direct that the said duty shall be collected, at the time of registration of the said documents, by the Registrar or the Sub-Registrar under the Indian Stamp Act, 1899 and paid to the respective Municipal Corporation within whose jurisdiction such immovable property is situated in accordance with the provisions of this notification.

3. The Governor of Haryana is still further pleased to direct that the duty so paid shall be paid equally into the account of respective Municipal Corporation maintained and managed by the respective Commissioner of Municipal Corporation and the consolidated account for all the Municipal Corporations in Haryana maintained and managed by the Director, Urban Local Bodies Department for this purpose.

S. N. ROY,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.